



कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 3.07.21

क्रमांक : शिथि-गा/माध्य/अ-4/सामोन्नति/राजगाधि/21307/2021-22

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)-माध्यमिक,
जोधपुर।

विषय :- राजकीय माध्यमिक विद्यालय अरटिया खुर्द (यूआईस कोड-08150602801), ब्लॉक-भोपालगढ़,
जिला-जोधपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।
प्रसंग :- शासन का पत्रांक- पं. 4(6) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक 29.06.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में बजट घोषणा 2019-20 के विन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय अरटिया खुर्द (यूआईस कोड-08150602801), ब्लॉक-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति वित्त(व्यय-1) विभाग की आई. डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में अप्राकृतिक शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

शर्त :-

1. विद्यालय क्रमोन्नत सत्र 2021-22 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारंभ की जा सकती है।
3. इन विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्यन्धित जि०शि०अ०(मुख्यालय)-माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि ये क्रमोन्नत विद्यालय से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के विन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के विन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
6. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-आईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

(सौरभ स्वामी)
अधीक्षक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, पुस्तकालय एवं मापा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय छाजा।
9. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जोधपुर।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, भोपालगढ़।
12. अनुभाग अधिकारी: संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श विद्यालय प्रकल्प/शाला दर्पण प्रकल्प को अपडेशन हेतु।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड राखत।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर